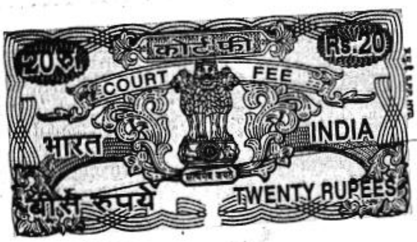

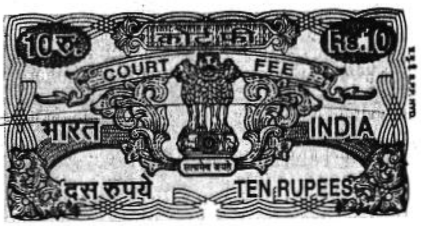

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017–सतना R 1109-पी-17

अनूप शुक्ला पुत्र श्री युगुलकिशोर गर्ग, निवासी– चांदमारी रोड़, धवारी, गली नंबर 1, मंगल भवन के पास, रघुराज नगर सतना

..................आवेदक

श्री ... द्वारा आज दि. 6.4.17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

1. म.प्र. शासन

2. रामदयाल लकेरा पुत्र स्व. श्री लक्ष्मण प्रसाद लकेरा, निवासी– ग्राम/थाना/तहसील कोठी, रघुराजनगर, सतना ....अनावेदक

निगरानी आवेदन पत्र धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं. 1959 के अंतर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश कलेक्टर सतना के प्रकरण क्रमांक 366 अ–74/15–16 आदेश दिनांक 28.09.2016 को पारित जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 01.04.2017 को प्राप्त हुई :–

माननीय न्यायालय,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

यहकि, भूमि सर्वे नं. 65/1/2 मौजा रोयनी तहसील रघुराज नगर वृत– कोठी जिला सतना के मूल भूमि स्वामी कौशलेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र सीतारण प्रताप बहादुर सिंह थे ने दिनांक 02.03.1956 को कच्ची टीप के आधार पर उक्त आराजी बेची। क्रेता रामभगत लखेरा ने क्रय की चूंकि रामभगत लखेरा अनपढ़ देहाती आदमी था ने तात्कालिक पटवारी को कच्ची टीप के आधार पर अपना नामांतरण हेतु आवेदन कच्ची टीप के साथ दिया तात्कालिक पटवारी ने उक्त कच्ची टीप के आधार पर राजस्व रिकार्ड में कॉलम नं. 12 पर रामभगत लखेरा का नाम दर्ज कर दिया व कॉलम नं. 3 में मूल भूमि स्वामी कौशलेन्द्र सिंह प्रताप का नाम बना रहा सन 1956 से 1990 तक कच्ची टीप के द्वारा क्रेता रामभगत

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

(77)

अनुवृति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/1109/II/17, सतना अनूप शुक्ला / भा.प्र.से.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
9-1-19	आवेदक की ओर से श्री कुंवर सिंह कुशवाह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 366/अ-74/15-16 में पारित आदेश दिनांक 28/09/16 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-4-19 को संभागीय आयुक्त रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	